



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2021

पौष 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1095/79-वि-1-21-1-क-31-21  
लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे परिवहन अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
21 सन् 1997 की  
धारा 10 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में, उपधारा (3) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् : —

“परन्तु यह भी कि जहाँ यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहाँ इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।”

निरसन और  
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या 9  
सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) राज्य में यात्रियों तथा माल भाड़ा के परिवहन में संलग्न मोटर यानों पर कर और अतिरिक्त कर अधिरोपित करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में अवस्थित जिला चित्रकूट की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार है कि कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते हैं और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि चित्रकूट एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यानों का संचलन प्रायः चित्रकूट जिला में होता है।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को जिला चित्रकूट में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जिला चित्रकूट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अवस्थित कुछ क्षेत्रों को मुक्त परिक्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ताकि यानों के संचलन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के मध्य दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के पारस्परिक करार के अनुच्छेद 6 में मुक्त परिक्षेत्र का उपबंध विद्यमान है, जिसके अनुसार यदि मुक्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश राज्यों में यान, यान-कर, अतिरिक्त-कर और पथकर-संदाय से छूट प्राप्त होते हैं।

पूर्वोक्त करार को दृष्टिगत रखते हुए और मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करके धारा 10 की उपधारा (3) में एक परन्तुक बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन्, 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

-----  
No. 1095(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-31-21  
Dated Lucknow, December 27, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yaan Karadhaan (Sanshodhan) Adhinyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 39 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Parivahan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Adhinyam.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT)  
ACT, 2021

(U.P. Act no. 39 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2021. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 9<sup>th</sup> day of November, 2021.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, in sub section (3) *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :- Amendment of section 10 of U.P. Act no. 21 of 1997

“Provided also that where the operation of vehicles is permitted exclusively in the free zone declared in the reciprocal agreement between the State of Uttar Pradesh and the State of Madhya Pradesh, wherein tax exemption is also allowed, the tax payable under this section shall be exempted wholly or partially in accordance with the said agreement in the Chitrakoot Local Area.”

Repeal and saving	3. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.  (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.	U.P. Ordinance no. 9 of 2021
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

-----

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

The geographical location of district Chitrakoot located in Uttar Pradesh is such that some areas fall in Uttar Pradesh, then some areas in Madhya Pradesh and again some areas fall within the borders of Uttar Pradesh. Since Chitrakoot is a major religious place, the movement of vehicles from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh often happens in the Chitrakoot District.

It was announced by the Hon'ble Chief Minister on October 23, 2017 in Chitrakoot District that some areas located on the borders of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in Chitrakoot District should be declared as free zones, so that there is no obstruction in the movement of vehicles of any kind.

There is a provision of free zone in Article 6 of the mutual agreement dated November 21, 2006 between the State Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, according to which if the free zone comes in Uttar Pradesh, then vehicles are exempted from vehicle tax, additional tax and the payment of tolls (Toll) in the State of Uttar Pradesh and if the free zone falls within the Madhya Pradesh, then vehicles are exempted from the payment of vehicle tax and tolls (Tolls) in the State of Madhya Pradesh.

In view of the aforesaid agreement and in order to fulfill the announcement made by the Hon'ble Chief Minister it was decided to amend the aforesaid Act by inserting a proviso to sub section (3) of section 10.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 9 of 2021) was promulgated by the Governor on November 9, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance .

By order,  
ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 505 राजपत्र-2021-(1135)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 144 सा० विधायी-2021-(1136)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।